आगमनः 2025 पर नागरिकों को बधाई

प्रधानमंत्री के नेतृत्व में विकास यात्रा को मिलेगा नया आयामः डॉ. यादव

भोपाल(काप्र)।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आगमन : 2025 पर प्रदेश के नागरिकों को बधाई और शुभकामनाएँ दी हैं।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत निरंतर आगे बढ़ रहा है। श्री मोदी के मार्गदर्शन में वर्ष-2024 भारत के साथ मध्यप्रदेश समग्र विकास का पर्याय बना। आने वाला वर्ष-2025 निश्चित ही विकसित भारत के ध्येय को गति देगा, भारत की विकास यात्रा को नया आयाम मिलेगा और नया अध्याय गढ़ा जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि वर्ष-2024 प्रदेश में जनकल्याण की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहा। राज्य सरकार आने वाले वर्ष में भी जनहित से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता देते हुए प्रदेश को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाने का भरसक प्रयास करेगी। डॉ. यादव ने कहा कि भारतीय नव वर्ष के साथ ही अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार नव वर्ष को मनाने की परंपरा है, यह अवसर प्रदेश के विकास में भागीदारी के संकल्प का भी है। मुख्यमंत्री ने आशा व्यक्त की है कि विकास के प्रयासों में निश्चित ही प्रदेश के नागरिकों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा।

एनटीए परीक्षा के लिए समन्वय समिति

राज्य शासन द्वारा राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं के संचालन में समन्वय और प्रभावी प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए राज्यस्तरीय समन्वय समिति का गठन किया गया है। समिति में अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, कानून एवं व्यवस्था, एनटीए के महानिदेशक द्वारा नामांकित नोडल अधिकारी, राज्य सूचना अधिकारी एनआईसी, मध्यप्रदेश और संयुक्त निदेशक, इंटेलिजेंस ब्यूरो को नामित किया गया है।

राष्ट्रगीत एवं राष्ट्रगान 2 जनवरी को

मंत्रालय स्थित वल्लभ भाई पटेल पार्क में राष्ट्रगीत वन्देमातरम एवं राष्ट्रगान जन गण मन का गायन 2 जनवरी को प्रात- 11 बजे किया जाएगा। पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह के निधन होने से 26 दिसम्बर 2024 से 1 जनवरी 2025 तक राजकीय शोक होने के कारण मंत्रालय में राष्ट्र गीत एवं राष्ट्रगान का आयोजन 2 जनवरी का किया जायेगा। उल्लेखनीय है कि प्रत्येक माह के प्रथम कार्य दिवस पर राष्ट्र गीत एवं राष्ट्र गान का आयोजन पटेल पार्क में किया जाता है।

नववर्ष की पूर्व संध्या पर राजधानी पुलिस ने सुरा प्रेमियों और असामाजिक तत्वों के खिलाफ सघन चैकिंग अभियान चलाया। चित्र में एक वाहन चालक की ब्रीथ एनालाइजर से जाँच करता पुलिसकर्मी।

मप्र हाईकोर्ट ने कहा- पदोन्नति पर रोक नहीं

मंत्रालय के कर्मचारी को 60 दिन के भीतर दें पदोन्नति

भोपाल(काप्र)। प्रदेश में सरकारी अधिकारी एवं कर्मचारियों को पिछले 8 साल से प्रमोशन नहीं मिला है। राज्य सरकार मामला न्यायालय में लंबित होने से पदोन्नति की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने से फिलहाल बच रही है। इस बीच मप्र हाईकोर्ट ने मंत्रालय की एक कर्मचारी की याचिका पर निर्णय दिया है कि पदोन्नति को लेकर न्यायालय की ओर से कोई रोक नहीं है। न्यायालय ने राज्य सरकार को आदेश दिए हैं कि याचिकाकर्ता यदि पदोन्नति की सभी पात्रता पूरी करता है तो उसे 2 महीने के भीतर प्रमोट किया जाए। मंत्रालय के कर्मचारी धर्मेन्द्र सिंह कुशवाहा ने पदोन्नति नहीं मिलने पर मप्र उच्च न्यायालय में याचिका क्रमांक 35464/2024 दायर की थी। जिसमें उसने बताया कि उसे स्टेनो टायपिस्ट से स्टेनाग्राफर के लिए प्रमोशन नहीं दिया है। संबंधित विभाग ने उसके पदोन्नति के दावे को सर्वोच्च न्यायालय में पदोन्नति मामला लंबित होने का हवाला देकर मनमाने ढंग से खारिज दिया। जबकि पदोन्नति के संबंध में पिछले साल ही ओदश हो चुके हैं कि पदोन्नति पर कोई रोक नहीं है। सरकार चाहे तो पदोन्नति की प्रक्रिया शुरू कर सकती है। मप्र उच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारिकाधीश बंसल ने अपने आदेश में सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व के आदेश का हवाला देकर आदेश दिया है कि याचिकाकर्ता को पदोन्नति दी जानी चाहिए। याचिकाकर्ता को बिना देरी किए 60 दिनों के भीतर पूरी प्रक्रिया करने के बाद पदोन्नति दी जाए।

सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व के आदेशानुसार पदोन्नति पर किसी प्रकार की रोक है। पूरा मामला पदोन्नति में आरक्षण को लेकर विवादित है। जून 2016 में मप्र उच्च न्यायायल ने पदोन्नति में आरक्षण नियम 2002 को निरस्त कर दिया था। इसके बाद से प्रदेश में पदोन्नतियां बंद हैं।

मंत्रालय में आज से बदल जाएगा कामकाज का ढर्रा, ई-ऑफिस पर चलेंगी फाइलें

भोपाल(काप्र)।

मप्र सरकार नए साल में पूरी तरह से ऑनलाइनल मोड में आने की तैयारी कर रही है। इसकी शुरूआत मंत्रालय से होने जा रही हैं। मंत्रालय में 1 जनवरी से ही कामकाज का ढर्रा पूरी तरह से बदल जाएगा। सभी फाइलें ई-ऑफिस प्रणाली पर चलेंगी। इसके लिए निर्देश जारी कर दिए हैं।

इससे पहले सामान्य प्रशासन विभाग सभी कर्मचारी, अधिकारियों को प्रशिक्षित करा चुका है। साथ ही उपकरणों का सेटअप तैयार भी किया जा रहा है। अगले चरणों में सिलसिलेवार विभागाध्यक्ष, संभागस्तरीय और फिर जिला एवं तहसील स्तर पर ई-ऑफिस प्रणाली लागू की जाएगी। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के निर्देश पर 2025 में मंत्रालय से लेकर तहसील स्तर के कार्यालय ई-ऑफिस पर शुरू हो जाएंगे। मुख्य सचिव अनुराग जैन ने अपने 3 महीने के कार्यकाल में प्रशासनिक सुधार की दृष्टि से ई-ऑफिस प्रणाली को सख्ती से लागू करने के लिए बड़ा कदम उठाया है। मुख्य सचिव ने पिछले महीने नवंबर में ही आदेश जारी कर दिए थे कि 1 जनवरी से मंत्रालय में हर हाल में ई-ऑफिस प्रणाली लागू की जाए। इसके बाद सामान्य प्रशासन विभाग ने ई-ऑफिस के पुराने वर्जन में कुछ करते हुए 1 जनवरी 2025 से मंत्रालय में ई-ऑफिस का नया वर्जन 7 लागू होगा। जिसमें फाइल पीडीएफ फार्मेट में ही जमा होगी। सामान्य प्रशासन विभाग के उपसचिव दिलीप कापसे ने सभी अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव एवं सचिवों को पत्र लिखकर कहा है कि 1 जनवरी से मंत्रालय में ई-ऑफिस के नए संस्करण का उपयोग किया जाना है। उन्होंने कहा कि ई-ऑफिस के संबंध में निर्देश जारी कर दिए हैं। 1 जनवरी से शुरू करना है।

स्कैनर, कंप्यूटर पुराने

ई-ऑफिस के लिए मंत्रालय में ज्यादातर विभागों के पास पहले से ही स्कैनर और उच्च गुणवत्ता के कंप्युटर उपलब्ध हैं। 6 साल पहले ही सभी विभागों को ई-ऑफिस के लिए उपकरण मुहैया करवा दिए थे। हालांकि बाद में ज्यादातर विभाग ऑफलाइन मोड में आ गए। इस वजह से स्कैनर धूल खा रहे है। अब फिर से ई-ऑफिस प्रणाली शुरू होने से स्कैनर एवं अन्य उपकरणों से धूल साफ की जा रही है।

ई-ऑफिस में अन्य राज्यों से पिछड़ा मध्यप्रदेश

यूं तो मप्र सरकार ने मंत्रालय में ई-ऑफिस प्रणाली की शुरूआत जून 2017 में ही कर दी थी, लेकिन वरिष्ठ अधिकारियों के ढुलमुल रवैए की वजह से ई-ऑफिस खानापूर्ति बना रहा। जबकि नस्तियां ऑफलाइन ही चलती रहीं। खास बात यह है कि इस बीच 5 मुख्य सचिव बीपी सिंह, एसआर मोहंती, गोपाल रेड्डी, इकबाल सिंह बैंस और वीरा राणा समेत 3 मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, कमलनाथ और फिर शिवराज सिंह चौहान बदल चुके, लेकिन किसी ने भी सरकारी कार्यालयों में ई-ऑफिस प्रणाली को सख्ती से लागू करने में रुचि नहीं दिखाई। जून 2017 में जब पहली मंत्रालय में ई-ऑफिस प्रणाली लागू की गई थी। तब मुख्य सचिव वीपी सिंह और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने इसकी शुरूआत की थी। साथ ही सामान्य प्रशासन विभाग ने कैलेंडर जारी किया था कि अगले चरणों में विभागाध्यक्ष फिर संभागायुक्त और जिला कलेक्टर कार्यालय ई-ऑफिस से जुड़ेंगे। लेकिन प्रशासनिक अरुचि की वजह से मप्र ई-ऑफिस में पिछड़ गया। हालांकि उस समय ई-ऑफिस प्रणाली लागू करने वाले राज्य आगे निकल गए। इनमें से उप्र प्रमुख राज्य है।

आज से बंद होगा संभावना ट्रस्ट क्लीनिक

भोपाल(काप्र)।

राजधानी के संभावना ट्रस्ट क्लिनिक को 1 जनवरी से बंद करने का निर्णय लिया गया है। ट्रस्ट से जुड़े पदाधिकारी और गैस पीड़ितों ने यह जानकारी दी।

यदि क्लीनिक बंद होता है तो करीब 37 हजार गैस पीड़ितों को इलाज नहीं मिल सकेगा। ट्रस्ट ने फंड की कमी का हवाला देते हुए क्लिनिक बंद करने की घोषणा की है। बताया जा रहा है कि एफसीआरए (फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट) के रिन्युअल की फाइल अटकने से ट्रस्ट को विदेशी फंड नहीं मिल रहा है। ट्रस्ट के जुड़े लोगों का कहना है कि फाइल फरवरी-23 से गृह मंत्रालय के एफसीआरए विंग के विदेशी प्रभाग के पास पेंडिंग है। ट्रस्ट का 2 मई 2001 को रजिस्ट्रेशन हुआ था, लेकिन इसे अक्टूबर-19 में गलत तरीके से रद्द कर दिया गया था। पुनर्विचार के लिए कई बार लेटर लिखे गए, लेकिन उन्हें नजर अंदाज कर दिया गया। इस कारण विदेशी फंड नहीं मिल पा रहा है और ट्रस्ट की आर्थिक स्थिति गड़बड़ा गई है। ट्रस्ट के क्लिनिक में कुल 51 कर्मचारी कार्यरत हैं। वर्तमान में 80 से 100 मरीज रोज क्लिनिक पर आते हैं। पैसों की कमी की वजह से डॉक्टर और कर्मचारियों की संख्या में कटौती की गई है। क्लिनिक में कुल 37 हजार गैस पीड़ित रजिस्टर्ड हैं।

फंड के लिए देंगे धरना

हाल ही में गठित यूनियन कार्बाइड जहर पीड़ित इलाज अधिकार मोर्चा के सदस्यों ने क्लिनिक को खुला रखने के लिए लाभार्थियों और कर्मचारियों के साथ शांतिपूर्ण अभियान शुरू करने की घोषणा की है। इलाज अधिकार मोर्चा 1 जनवरी से क्लिनिक परिसर में धरना देगा। ट्रस्ट पिछले 28 साल से यूनियन कार्बाइड हादसे के पीड़ितों को मुफ्त और विशेष इलाज दे रहा है।

हितग्राहियों को चिन्हित करें और उनके प्रकरणों को शीघ्र निराकृत करेंः नारायन

भोपाल (काप्र)। निगम आयुक्त हरेन्द्र नारायन ने मुख्यमंत्री जन कल्याण अभियान के तहत घर-घर जाकर पात्र हितग्राहियों को चिन्हित करने और उनके प्रकरणों को शीघ्र निराकृत करने के निर्देश दिए। निगम आयुक्त ने शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं का शत-प्रतिशत लाभ देने हेतु तत्परता से कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए ताकि कोई भी पात्र हितग्राही योजनाओं के लाभ से वंचित न रहे। निगम आयुक्त श्री नारायन ने मुख्यमंत्री जन कल्याण अभियान के तहत वार्ड . 47 में आयोजित मुख्यमंत्री जन कल्याण शिविर का निरीक्षण कर शिविर में विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित प्रकरणों एवं उनके निराकरण की जानकारी प्राप्त की। निगम आयुक्त श्री नारायन ने शिविर में पी.एम.स्वनिधि योजना से संबंधित प्रकरणों की ठीक प्रकार से जानकारी न देने पर सामुदायिक संगठक को कार्य में सुधार लाने की चेतावनी दी। मुख्यमंत्री जन कल्याण अभियान के तहत मंगलवार को वार्ड . 05, 47 एवं 77 में आयोजित शिविरों में 2255 आवेदन प्राप्त हुए जिनमें से 1932 आवेदनों को शिविर में ही निराकृत किया गया। मुख्यमंत्री जन कल्याण अभियान के तहत बुधवार को जोन . 17 के अंतर्गत वार्ड . 78 में शिविर का आयोजन किया गया है। निगम आयुक्त ने मंगलवार को मुख्यमंत्री जन कल्याण अभियान के तहत जोन . 06 के अंतर्गत वार्ड . 47 में आयोजित मुख्यमंत्री जन कल्याण शिविर का निरीक्षण किया और शिविर में विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित प्राप्त प्रकरणों एवं उनके निराकरण की जानकारी प्राप्त की।

वायु गुणवत्ता को प्रभावित करने वालों के विरूद्ध अभियान

कुल 387 प्रकरणों में 78,300 रु. की राशि जुर्माने के रूप में वसूली

भोपाल (काप्र)।

निगम आयुक्त हरेन्द्र नारायन द्वारा सीएंडडी वेस्ट, भवन निर्माण सामग्री सड़कों पर फैलाने तथा निर्माणाधीन भवनों पर ग्रीन नेट न लगाकर वायु गुणवत्ता एवं शहर की स्वच्छता को प्रभावित करने वालों के विरूद्ध अभियान के तहत सख्त कार्यवाही करने के दिए गए निर्देशों के परिपालन में निगम अमले ने विभिन्न क्षेत्रों में सीएंडडी वेस्ट, भवन निर्माण सामग्री, सड़कों सार्वजनिक स्थलों पर फैलाने तथा निर्माणाधीन भवन पर ग्रीन नेट न लगाने वालों सहित साफ-सफाई व्यवस्था में व्यवधान उत्पन्न करने वालों के विरूद्ध कार्यवाही की और सीएंडडी वेस्ट फैलाने वालों के विरूद्ध 11 प्रकरणों में 12 हजार 500 रुपए की राशि जुर्माने के रूप में वसूल की।

निगम अमले ने कुल 387 प्रकरणों में 78 हजार 300 रुपये की राशि जुर्माने के रूप में वसूल की। निगम प्रशासन ने भवन निर्माताओं से अपील की है कि वह भवन निर्माण के समय ग्रीन नेट का पूरी तरह उपयोग करें और शहर के वायु गुणवत्ता में सुधार हेतु सहयोग करें अन्यथा निगम प्रशासन द्वारा निरंतर सख्त कार्यवाही की जायेगी। श्री नारायन के निर्देश पर निगम के स्वास्थ्य विभाग के अमले ने मंगलवार को विभिन्न जोन क्षेत्रों में सीएंडडी वेस्ट व भवन निर्माण सामग्री सड़कों, सार्वजनिक स्थलों पर फैलाने वालों तथा निर्माणाधीन भवनों पर ग्रीन नेट न लगाने वालों के विरूद्ध अभियान के तहत कार्यवाही की। निगम के जोन क्रमांक 14 के अमले ने 06 प्रकरणों में 05 हजार 500 रुपए, जोन क्रमांक 10 के अमले ने 01 प्रकरण में 05 हजार रुपए, जोन क्रमांक 09 के अमले ने 02 प्रकरणों में 01 हजार रुपए तथा जोन क्रमांक 04 एवं 16 में 01-01 प्रकरण में 500-500 रुपए सहित कुल 11 प्रकरणों में 12 हजार 500 रुपए की राशि जुर्माने के रूप में वसूल की।

निगम अमले ने दो डस्टबिन न रखने, कचरा पृथक-पृथक न रखने, खुले स्थानों पर मूत्र विसर्जित करने, प्रतिबंधित पालीथीन का उपयोग करने सहित अन्य प्रकार से साफ-सफाई व्यवस्था में व्यवधान उत्पन्न करने वालों के विरूद्ध भी कार्यवाही की। इस प्रकार निगम अमले ने कुल 387 प्रकरणों में 78 हजार 300 रुपएकी राशि जुर्माने के रूप में वसूल की। निगम प्रशासन ने भवन निर्माताओं से अपील की है कि वह भवन निर्माण के समय ग्रीन नेट का उपयोग पूरी तरह से सुनिश्चित करें और शहर में वायु गुणवत्ता सुधार हेतु निगम द्वारा किए जा रहे कार्यों में सहयोग करें अन्यथा निगम प्रशासन द्वारा निरंतर सख्त कार्यवाही की जायेगी।

मौसम के बदले मिजाज.. मंगलवार की सुबह राजधानी घने कोहरे की आगोश में रही।

निगम के दस कर्मचारी सेवानिवृत्त

भोपाल। नगर निगम के 10 कर्मचारी अपनी सेवा अवधि पूर्ण कर निगम सेवा से सेवानिवृत्त हो गए। निगम आयुक्त हरेन्द्र नारायन ने माता मंदिर स्थित निगम कार्यालय में सेवानिवृत्त उपयंत्री हीरेन्द्र सिंह कुशवाह, निश्रेलि श्रीमती शारदा तिवारी, वाचनालय सहायक एजाज अली, मिनी पम्प चालक सै.सरवर अली, पम्प चालक अशरफ अली, पम्प हेल्पर मदनलाल, श्रमिक बलवीर सिंह व भैयालाल, चौकीदार अवधनारायण शर्मा, भृत्य श्रीमती फरहत जहां को शॉल-श्रीफल, प्रशस्ति पत्र, पुष्प गुच्छ एवं मिष्ठान भेंट कर ससम्मान बिदाई दी। इस मौके पर उपायुक्त सीबी मिश्रा के अलावा सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारी कल्याण समिति के अध्यक्ष एस. नजीर अहमद, रामसिंह राठौर, शमीम कुरैशी, ओपी सक्सेना, राजेन्द्र सक्सेना, अब्दुल रकीब, हसन तैयब, ओपी द्विवेदी मौजूद थे।

रेशम संचालनालय म.प्र.

लोअर बेसमेन्ट, सतपुड़ा भवन भोपाल

क्रमांक रे.सं./सामा./33/2020-21/2343 भोपाल,दिनांक 27/12/2024

शुद्धि पत्र

रेशम संचालनालय के पत्र क्रमांक सामा./33/2020-21/2125 दिनांक 04/12/2024 से जारी टेण्डर Tender reference no 984/22/10/24 second call Tender ID 2024_DOSMP_385973_1 वाहन किराये पर लेने के लिए ई-निविदा सूचना प्रकाशित की गई है। जिसकी अवधि निम्नानुसार बढ़ाई जा रही है :-

क्रमांक	विवरण	निर्धारित कार्यक्रम	संशोधित तिथि
1	टेण्डर में भाग लेने की अंतिम तिथि	26/12/2024 सायं 5.00 बजे तक	06/01/2025 सायं 5.00 बजे तक
2	टेण्डर खोलने की तिथि एवं समय	30/12/2024 समय दोपहर 12.00 बजे से	08/01/2025 समय दोपहर 12.00 बजे से

नोट : टेण्डर की सभी शर्तें यथावत रहेंगी।

जी-21015/24

आयुक्त के आदेशानुसार
(शरद श्रीवास्तव) सहायक संचालक

न्यायालय तहसीलदार तहसील हुजूर जिला भोपाल

प्र.क्र. 0067/अ-6/2024-2025
ग्राम-बेरखेड़ी बाज्याफत
दिनांक-30.12.2024

आम सूचना

श्री महेश कुमार आत्मज श्री होतूमल जी निवासी 05, चिनार लेकरिज अपार्टमेंट रिज रोड ईदगाह हिल्स भोपाल **विरूद्ध** 01. वासुदेव फूलवानी पिता टी टी फूलवानी निवासी कोफिजा तहसील हुजूर जिला भोपाल, 02 सजन सिंह गिरोदिया पिता जय राम सिंह गिरोदिया निवासी सीहोर, एतद् द्वारा आप सभी अनावेदकगण को सूचित किया जाता है। कि आवेदक श्री महेश कुमार आ. श्री होतूमल जी निवासी - 05, चिनार लेकरिज अपार्टमेंट रिंज रोड ईदगाह हिल्स भोपाल ने आवेदन पत्र प्रस्तुत कर रजिस्टर्ड विक्रय पत्र नामांतरण पंजी क्रमांक 16 आदेश दिनांक 06.02.2011 एंव ऋण पुस्तिका के अनुसार ग्राम बेरखेड़ी बाज्याफत पह. ह. न. 32, तहसील हुजूर जिला भोपाल स्थित भूमि खसरा क्रमांक 124/1-125/1/2 रकबा 0.0545 हे. भूमि पर आवेदक का नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज किये जाने का अनुरोध किया है आवेदक द्वारा आवेदन पत्र संलग्न राजस्व अभिलेखों की नकल एंव अन्य सुसंगत दस्तावेजों की प्रति प्रस्तुतत की है जिसमें आप सभी को सुनवाई हेतु सूचना पत्र जारी किये गये थे परंतु आपको तामिल न होने के कारण आपको सूचना के माध्यम से प्रकाशत आहूत किया जा रहा है। प्रकरण नियत पेशी दिनांक 03.01.2025 नियत है जिसमें आप उपस्थित होकर अपना अभिमत पक्ष रख सकते है आपकी अनुपस्थिति में यह मान इसके अधार पर आपके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर प्रकरण मे अग्रिम कार्यवाही की जावे ।

3054 **तहसीलदार**
तहसील-हुजूर जिला भोपाल

कार्या.: रिटर्निंग अधिकारी भेल कर्मचारी गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, भोपाल, म.प्र.

(पंजी.क्र. /डी.आर.बी./118,दि. 05.08.1978)
क्र. /निर्वा./2024/02 दि.: 30.12.2024

निर्वाचन आमसभा की सूचना

संस्था के समस्त सदस्यों को सूचित किया जाता है कि संस्था के संचालक मंडल के निर्वाचन बाबत निर्वाचन आमसभा दिनांक 15/01/2025, दिन बुधवार को प्रातः 10.00 बजे से स्थान- सामुदायिक भवन, सेक्टर 2ए, साकेत नगर, भोपाल पर आयोजित की गई है। रिटर्निंग अधिकारी श्री अनुराग त्रिपाठी द्वारा दिनांक 8/1/25 को दोपहर 12 बजे से 02 बजे तक नामांकन पत्र लिये जावेंगे दिनांक 9/1/25 को दोपहर 12 से नियोजन पत्रों की जांच की जावेगी, दिनांक 10/01/2025 को दोपहर 12 से 02 बजे तक नाम वापस लिये जा सकेंगे। उपरोक्त समस्त कार्यक्रम स्थानः कार्यालय उपायुक्त, सहकारिता, डी-ब्लाक, पुराना सचिवालय, जिला-भोपाल पर सम्पन्न होंगे, तत्पश्चात सूची का अंतिम प्रकाशन एवं चुनाव चिन्हों का आवंटन किया जावेगा। आमसभा की सूचना के साथ निर्वाचन अधिकारी द्वारा घोषित कार्यक्रम की सूचना सदस्यों को पृथक से स्पीड पोस्ट/साधारण डाक/ व्यक्तिशः द्वारा प्रेषित की जा चुकी है।

3055 **अखिलेष तोमर नैन, प्रशासक**
भेल कर्मचारी गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, भोपाल

न्यायालय नायब तहसीलदार एवं कार्यपालिक मजिस्ट्रेट वृत्त-गोविन्दपुरा भोपाल

(पुराना आर. टी. ओ. ऑफिस थाना कोहेफिजा के पीछे भोपाल पिन कोड - 462001)

आम सूचना

ग्राम- छोला प्र. क्र. 1450/अ-6/2024-25
आवेदक श्री रवि प्रजापति पुत्र स्व. श्री बाबूलाल प्रजापति एवं श्री उमाकान्त प्रजापति पुत्र स्व. श्री बाबूलाल प्रजापति निवासीगण मकान नंबर 524 गली नंबर 02 साईराम कालोनी सेमरागेट तहसील हुजूर भोपाल द्वारा ग्राम छोला तहसील हुजूर जिला भोपाल स्थित भूमि खसरा 171, 174 /2 का अंशभाग रकवा 420 वर्गफिट भूमि पर म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 109-110 के तहत नामान्तरण किये जाने आवेदन पत्र पेश किया गया है। आवेदन पत्र के साथ शपथपत्र, रजिस्ट्री की छायाप्रति, खसरा नकल की छायाप्रति प्रस्तुत की है, जो प्रकरण में संलग्न है। उपरोक्त संबंध में यदि किसी व्यक्ति या संस्था को कोई आपत्ति हो तो अपनी आपत्ति इस आम सूचना के जारी होने की दिनांक से 10 दिवस में स्वयं अथवा अपने अभिभाषक के माध्यम से मेरे समक्ष इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। निर्धारित अवधि बीत जाने के पश्चात प्राप्त आपत्तियों पर किसी भी प्रकार का विचार नही किया जावेगा । उदघोषणा न्यायालय की मुद्रा में मेरे हस्ताक्षर द्वारा आज दिनांक को जारी किया गया है।

3056 **नायाब तहसीलदार**
नजूल वृत्त गोविन्दपुरा भोपाल